

संचालनालय मत्स्योद्योग,
भदभदा रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश

ई-मेल- dirfish@mp.nic.in/

फैक्स-0755-2771991

दूरभाष-0755-2771975

क्रमांक
प्रति,

/म/नील क्रांति/2019-20

भोपाल, दिनांक

सहायक संचालक मत्स्योद्योग,
जिला- सीहोर, देवास, धार, सिंगरौली, मंदसौर (म.प्र.)

विषय:- मोटरसाईकिल विथ आईस बॉक्स हेतु राशि आवंटन बाबत ।

-0-

भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्य पालन विभाग, नई दिल्ली द्वारा नील क्रांति अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 की शेष राशि, मोटर साईकिल विथ आईस बॉक्स गतिविधि के क्रियांवयन एवं संचालन हेतु विमुक्त की गई है, जिसको अनुसूचित जाति वर्ग के पुरुष हितग्राहियों को रूपये 0.60 लाख इकाई लागत पर 60 प्रतिशत के मान से आपके मांग पत्रों अनुसार अनुदान राशि उपलब्ध कराई जा रही है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(रु. लाख में)

क्रं.	जिला	हितग्राही /पिता का नाम	संख्या	अनुदान राशि
1	सीहोर	श्री कमल/श्री जसमत, घोघरा	1	0.36
		श्री सोनू/श्री महेश, बरखेडा हसन	1	0.36
		श्री प्रेमनारायण/श्री बंशीलाल, बडखेडा हसन	1	0.36
योग-			3	1.08
2	देवास	श्री कैलाश चंद्र/श्री मूलचंद्र, बालोन	1	0.36
		श्री प्रभुलाल/श्री कालुराम, बालोन	1	0.36
		श्री धर्मेन्द्र/श्री अम्बाराम, बालोन	1	0.36
		श्री लाल सिंह/श्री राम सिंह, बालोन	1	0.36
		श्री सिद्धनाथ जी/श्री दोला जी, बालोन	1	0.36
		श्री अम्बाराम जी/श्री बाबूलाल जी, बालोन	1	0.36
योग-			6	2.16
3	धार	श्री बाबु लाल/श्री पन्ना लाल परमार, हनुमंत्याकाग, सरदारपुर	1	0.36
योग-			1	0.36
4	सिंगरौली	श्री जोखन प्रसाद /श्री ददई साकेत, पोडी प्रथम वि.ख.चितरंगी	1	0.36
		श्री विपिन कुमार साकेत/श्री जगन्नाथ, बडकुड वि.ख. चितरंगी	1	0.36
		श्री हृदयलाल साकेत/श्री लल्लूराम, ओरगाई वि.ख. बैढन	1	0.36
		श्री व्यास साकेत/श्री हीरालाल, तेन्दुहा वि.ख. चितरंगी	1	0.36
योग-			4	1.44
5	मंदसौर	श्री लखन/श्री गणेश मालवीय, मुन्जाखेडी मल्हारगढ	1	0.36
योग-			1	0.36
महायोग-			15	5.40

उक्त राशि का आहरण 16-2405-00-101-703-0665-00000000-42-007 से विकलनीय होगा।

-01-

-02-

मोटर साईकिल विथ आईस बॉक्स गतिविधि अंतर्गत अनुदान राशि का आवंटन निम्न दिशा-निर्देशानुसार किया जाना सुनिश्चित करें:-

1. मोटर साईकिल का विवरण, प्रकार, मेक, चैचिस नं., रजि. नं. हितग्राही का विवरण संचालनालय को भेजना सुनिश्चित करें।
2. मोटर साईकिल का उपयोग मत्स्य विक्रय के प्रयोजन में ही किया जाए।
3. आपके मांग पत्र अनुसार चयनित हितग्राहियों के स्थान पर अन्य हितग्राहियों के नाम परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
4. साथ ही आवंटित राशि का व्यय न होने की स्थिति में 12 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित वसूली जावेगी।

संचालनालय मत्स्योद्योग के पत्र क्रं. 3523 दिनांक 16.11.2018 में दिये गये निर्देश अन्तर्गत हितग्राही से किये गये आदर्श अनुबंध की छायाप्रति संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संचालक मत्स्योद्योग,
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 15-7-19

पृ0क्रमांक 1433 /म/नील क्रांति/2019-20
प्रतिलिपि :-

1. उप संचालक मत्स्योद्योग- भोपाल/इन्दौर/उज्जैन/रीवा की ओर सूचनार्थ।
2. संचालनालय की बजट शाखा की ओर उक्तानुसार आवंटन हेतु।
3. संचालनालय की आई.टी. शाखा की ओर अपलोड करने हेतु।
4. हितग्राही श्री की ओर सूचनार्थ।

संचालक मत्स्योद्योग,
मध्यप्रदेश

12/7/19